

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरणएस

करण सं० : 109/2025

निवात :

1. जगदीश पुत्र रणधीर जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. रणधीरसिंह पुत्र बदीप्रसाद जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. सुमनदेवी पुत्री रणधीर पत्नी नरेश जाति जाट निवासी भिरानी हाल निवासी राजपुरिया तहसील सिद्धमुख जिला चुरू।
3. राजबाला पुत्री रणधीर पत्नी राजेश जाति जाट निवासी भिरानी हाल निवासी राजपुरिया तहसील सिद्धमुख जिला चुरू।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विरेन्द्र जाखड़ एवं वकील प्रतिवादीगण सुश्री शीटा चौधरी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी आंशिक साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 105/49 के मु०नं० 503 के कि०नं० 11, 20, 21 मु०नं० 504 के कि०नं० 16, 25 मु०नं० 530 के कि०नं० 1 ता 10, 12 ता 17 मु०नं० 531 के कि०नं० 1, 10, 11, 20 कुल कित्ता 25 की 5.401 है० बरानी में प्रतिवादी रणधीरसिंह के नाम से 292/5401 हिस्सा दर्ज है उक्त भूमि को प्रतिवादी रणधीर सिंह के नाम यथावत रखा जाता है तथा वाद भूमि रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 138/353 के मु०नं० 369 के कि०नं० 11 ता 13, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21 ता 23 मु०नं० 370 के कि०नं० 6, 15, 16/1, 16/2, 25 मु०नं० 402 के कि०नं० 5, 6, 15 मु०नं० 403 के कि०नं० 1 ता 3, 8 ता 13 कुल कित्ता 29 की 6.325 है० बरानी मय रास्ता में प्रतिवादी संख्या 1 रणधीर के नाम से 607/12650 हिस्सा, रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 107/56 के मु०नं० 464 के कि०नं० 9 ता 12, 18 ता 21, 22/1, 22/2, 23 मु०नं० 465 के कि०नं० 15 ता 17, 24, 25 मु०नं० 484 के कि०नं० 4 ता 7 मु०नं० 485 के कि०नं० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9/1, 9/2, 10 कुल कित्ता 27 की 5.819 है० बरानी मय रास्ता में प्रतिवादी संख्या रणधीर के नाम 2667/29095 हिस्सा, रोही मौजा भिरानी खाता संख्या 106/55 के मु०नं० 414 के कि०नं० 21, 22 मु०नं० 415 के कि०नं० 25/1, 25/2 मु०नं० 444 के कि०नं० 2 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 9, 12 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2 मु०नं० 445 के कि०नं० ता 4, 7 ता 25 कुल कित्ता 50 की 11.132 है० बरानी मय रास्ता में प्रतिवादी संख्या 1 रणधीर के नाम 63/5566 हिस्सा, रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 464/185 के मु०नं० 459 के कि०नं० 1 ता 3, 8 ता 13, 18, 19, 20, 22, 23 मु०नं० 460 के कि०नं० 1/1, 1/2, 2 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2 कुल कित्ता 38 की 8.602 है०

कलक्टर
क)भादरा



रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं० 1 रणधीरसिंह का नाम कलमजन कर वादी को खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर साबित स्वीकार होने पर आंशिक स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी आंशिक साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 105/49 के मु०नं० 503 के कि०नं० 11, 20, 21 मु०नं० 504 के कि०नं० 16, 25 मु०नं० 530 के कि०नं० 1 ता 10, 12 ता 17 मु०नं० 531 के कि०नं० 1, 10, 11, 20 कुल कित्ता 25 की 5.401 है० बरानी में प्रतिवादी रणधीरसिंह के नाम से 292/5401 हिस्सा दर्ज है उक्त भूमि को प्रतिवादी रणधीर सिंह के नाम यथावत रखा जाता है तथा वाद भूमि रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 138/353 के मु०नं० 369 के कि०नं० 11 ता 13, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21 ता 23 मु०नं० 370 के कि०नं० 6, 15, 16/1, 16/2, 25 मु०नं० 402 के कि०नं० 5, 6, 15 मु०नं० 403 के कि०नं० 1 ता 3, 8 ता 13 कुल कित्ता 29 की 6.325 है० बरानी मय रास्ता में प्रतिवादी संख्या 1 रणधीर के नाम से 607/12650 हिस्सा, रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 107/56 के मु०नं० 464 के कि०नं० 9 ता 12, 18 ता 21, 22/1, 22/2, 23 मु०नं० 465 के कि०नं० 15 ता 17, 24, 25 मु०नं० 484 के कि०नं० 4 ता 7 मु०नं० 485 के कि०नं० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9/1, 9/2, 10 कुल कित्ता 27 की 5.819 है० बरानी मय रास्ता में प्रतिवादी संख्या रणधीर के नाम 2667/29095 हिस्सा, रोही मौजा भिरानी खाता संख्या 106/55 के मु०नं० 414 के कि०नं० 21, 22 मु०नं० 415 के कि०नं० 25/1, 25/2 मु०नं० 444 के कि०नं० 2 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 9, 12 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2 मु०नं० 445 के कि०नं० 1 ता 4, 7 ता 25 कुल कित्ता 50 की 11.132 है० बरानी मय रास्ता में प्रतिवादी संख्या 1 रणधीर के नाम 63/5566 हिस्सा, रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 464/185 के मु०नं० 459 के कि०नं० 1 ता 3, 8 ता 13, 18, 19, 20, 22, 23 मु०नं० 460 के कि०नं० 1/1, 1/2, 2 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2 कुल कित्ता 38 की 8.602 है० बरानी मय रास्ता में प्रतिवादी संख्या 1 रणधीर सिंह के नाम 405/17204 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं० 1 रणधीरसिंह का नाम कलमजन कर वादी जगदीश को खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। आंशिक पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

करण सं० : 109/2025

निवात :

1. जगदीश पुत्र रणधीर जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. रणधीरसिंह पुत्र बद्रीप्रसाद जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. सुमनदेवी पुत्री रणधीर पत्नी नरेश जाति जाट निवासी भिरानी हाल निवासी राजपुरिया तहसील सिद्धमुख जिला चुरू।
3. राजबाला पुत्री रणधीर पत्नी राजेश जाति जाट निवासी भिरानी हाल निवासी राजपुरिया तहसील सिद्धमुख जिला चुरू।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज०का०अध० 1955

उपस्थिति : वकील श्री विरेन्द्र जाखड़ : वादी

वकील सुश्री रीटा चौधरी : प्रतिवादी सं० 1 ता 3

निर्णय

दिनांक : 07-07-2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 138/353 के मु०नं० 369 के कि०नं० 11 ता 13, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21 ता 23 मु०नं० 370 के कि०नं० 6, 15, 16/1, 16/2, 25 मु०नं० 402 के कि०नं० 5, 6, 15 मु०नं० 403 के कि०नं० 1 ता 3, 8 ता 13 कुल कित्ता 29 की 6.325 है० बारानी मय रास्ता में प्रतिवादी संख्या 1 रणधीर के नाम से 607/12650 हिस्सा, रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 107/56 के मु०नं० 464 के कि०नं० 9 ता 12, 18 ता 21, 22/1, 22/2, 23 मु०नं० 465 के कि०नं० 15 ता 17, 24, 25 मु०नं० 484 के कि०नं० 4 ता 7 मु०नं० 485 के कि०नं० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9/1, 9/2, 10 कुल कित्ता 27 की 5.819 है० बारानी मय रास्ता में प्रतिवादी संख्या रणधीर के नाम 2667/29095 हिस्सा, रोही मौजा भिरानी खाता संख्या 106/55 के मु०नं० 414 के कि०नं० 21, 22 मु०नं० 415 के कि०नं० 25/1, 25/2 मु०नं० 444 के कि०नं० 2 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 9, 12 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2 मु०नं० 445 के कि०नं० 1 ता 4, 7 ता 25 कुल कित्ता 50 की 11.132 है० बारानी मय रास्ता में प्रतिवादी संख्या 1 रणधीर के नाम 63/5566 हिस्सा, रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 105/49 के मु०नं० 503 के कि०नं० 11, 20, 21 मु०नं० 504 के कि०नं० 16, 25 मु०नं० 530 के कि०नं० 1 ता 10, 12 ता 17 मु०नं० 531 के कि०नं० 1, 10, 11, 20 कुल कित्ता 25 की 5.401 है० बारानी में प्रतिवादी रणधीरसिंह के नाम से 292/5401 हिस्सा, रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 464/185 के मु०नं० 459 के कि०नं० 1 ता 3, 8 ता 13, 18, 19, 20, 22, 23 मु०नं० 460 के कि०नं० 1/1, 1/2, 2 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2 कुल कित्ता 38 की 8.602 है० बारानी मय रास्ता में प्रतिवादी संख्या 1 रणधीर सिंह के नाम 405/17204 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

कलक्टर
देक) भादरा

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 3 द्वारा आपसी मती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं० 4 द्वारा जबाबदावा पेश किया गया। वादी प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साह्य करवाया गया।

साह्य वादी में जगदीश पुत्र रणधीर जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा के सम्मन करवाये गये। दस्तावेजी साह्य में जमाबंदी रोही मौजा भिरानी खाता संख्या 138/353 संवत् 2074-77 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा भिरानी संवत् 2074-77 खाता संख्या 107/56 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही मौजा भिरानी संवत् 2074-77 खाता संख्या 106/55 प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही मौजा भिरानी खाता संख्या 105/49 संवत् 2074-77 प्रदर्श 4, जमाबंदी रोही मौजा भिरानी खाता संख्या 464/185 संवत् 2074-77 प्रदर्श 5, जमाबंदी रोही मौजा भिरानी खाता संख्या 175 प्रदर्श 6, जमाबंदी खतौनी भिरानी संवत् 2033 खाता संख्या 242 प्रदर्श 7, साह्य पत्र जगदीश बाबत सदस्य हेतु दिनांक 16.06.2025 प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पत्ति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा भिरानी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 8 प्रदर्शित करवाये। रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 105/49 के मु०नं० 503 के कि०नं० 11, 20, 21 मु०नं० 504 के कि०नं० 16, 25 मु०नं० 530 के कि०नं० 1 ता 10, 12 ता 17 मु०नं० 531 के कि०नं० 1, 10, 11, 20 कुल कित्ता 25 की 5.4010 है० बारानी में प्रतिवादी रणधीरसिंह के नाम से 292/5401 हिस्सा दर्ज है। उक्त वादभूमि पैतृक साबित नहीं होने के कारण प्रतिवादी रणधीर सिंह के नाम यथावत रखी जावे तथा वाद भूमि रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 138/353 के मु०नं० 369 के कि०नं० 11 ता 13, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21 ता 23 मु०नं० 370 के कि०नं० 6, 15, 16/1, 16/2, 25 मु०नं० 402 के कि०नं० 5, 6, 15 मु०नं० 403 के कि०नं० 1 ता 3, 8 ता 13 कुल कित्ता 29 की 6.3250 है० बारानी मय रास्ता में प्रतिवादी संख्या 1 रणधीर के नाम 607/12650 हिस्सा, रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 107/56 के मु०नं० 464 के कि०नं० 9 ता 12, 18 ता 21, 22/1, 22/2, 23 मु०नं० 465 के कि०नं० 15 ता 17, 24, 25 मु०नं० 484 के कि०नं० 4 ता 7 मु०नं० 485 के कि०नं० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9/1, 9/2, 10 कुल कित्ता 27 की 5.819 है० बारानी मय रास्ता में प्रतिवादी संख्या रणधीर के नाम 2667/29095 हिस्सा, रोही मौजा भिरानी खाता संख्या 106/55 के मु०नं० 414 के कि०नं० 21, 22 मु०नं० 415 के कि०नं० 25/1, 25/2 मु०नं० 444 के कि०नं० 2 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 9, 12 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2 मु०नं० 445 के कि०नं० 1 ता 4, 7 ता 25 कुल कित्ता 50 की 11.132 है० बारानी मय रास्ता में प्रतिवादी संख्या 1 रणधीर के नाम 63/5566 हिस्सा, रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 464/185 के मु०नं० 459 के कि०नं० 1 ता 3, 8 ता 13, 18, 19, 20, 22, 23 मु०नं० 460 के कि०नं० 1/1, 1/2, 2 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2 कुल कित्ता 38 की 8.602 है० बारानी मय रास्ता में प्रतिवादी संख्या 1 रणधीर सिंह के नाम 405/17204 हिस्सा राजस्व

प्रतिवादी का सरता में प्रतिवादी संख्या 1 रणधीर सिंह के नाम 405/17204 हिस्सा राजस्व
रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं० 1 रणधीरसिंह का नाम कलमजम कर
प्रतिवादी सं० 2 को खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने अपना हक
हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर
अनुसूचित प्राचीन शून्य व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो
अनुसूचित होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड
दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह आंशिक पर्चा डिग्री आज दिनांक 03-07-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय
की मुद्रा से जारी की गई।



Kulbir
(कलबिर शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़